**Average Earning of a Farmer**

4411. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the details of average farmer's earnings; and

(b) the remedial measures being taken by the Government to increase farmers' earnings?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The required information is not available.

(b) A number of programmes are being implemented to increase agricultural production which will raise the farmers' earnings. These programmes relate to the expansion of cropped area extension of irrigation facilities and improvement in crop yields. For improving the crop yields, the steps taken by the Government include increased provision of inputs like certified seeds, fertilisers, pesticides and improved farm machinery and implements to the farmers, bringing larger areas under the cultivation of high-yielding varieties expansion in the supply of institutional credit and intensification of problem-oriented research. In addition, incentives are being provided to the farmers to produce more by assuring them remunerative prices for their agricultural produce and through subsidies on different inputs.

**भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किये गये मोटे अनाज**

4412. **श्री छवि राम अर्गल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 29-11-1977 तक राज्यवार कितने टन मोटा अनाज वसूल किया गया ;

(ख) क्या उपरोक्त निगम ने इतनी मात्रा में मोटे अनाज की वसूली कर ली है कि भंडारण क्षमता के अभाव में यह खुले स्थान पर रखा हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह अनाज खुले में रखे होने से खराब हो रहा है और मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त होता जा रहा है और यदि हां, तो कितने टन अनाज खराब हुआ है;

(घ) अनाज का वसूली मूल्य क्या है और खाद्य निगम द्वारा निर्धारित राज्यवार, बिक्री मूल्य क्या है ;

(ङ) क्या 105 रुपये से 110 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वसूल किया गया गेहूं अब 142 रुपए से 145 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचा जा रहा है ; और

(च) यदि हां, तो इतना अधिक मुनाफा कमाने के क्या कारण हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानुप्रताप सिंह)** : (क) भारतीय खाद्य निगम ने चालू विपणन मौसम में महाध्य मूल्य के अन्तर्गत मोटे अनाजों की अब तक कोई वसूली नहीं की है । तथापि, भारतीय खाद्य निगम ने 29 नवम्बर, 1977 तक हरियाणा से 20 मीटरी टन मक्का और मध्य प्रदेश से 100 मीटरी टन ज्वार की वाणिज्यिक खरीदारी की थी ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के पास मोटे अनाजों का जो भी स्टाक है उसे ढके हुए स्थानों में रखा गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) भारत सरकार ने मोटे अनाजों का वसूली मूल्य 74 रुपये प्रति क्विंटल और केन्द्रीय पूल से निर्गम मूल्य 86 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है ।

(ङ) और (च). केन्द्रीय पूल से राज्य सरकारों को सप्लाई किये जाने वाले गेहूं का निर्गम मूल्य भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के द्वार पर अथवा गन्तव्य स्थान तक निष्प्रभार 125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्य राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय पूल के निर्गम मूल्य में स्थानीय करों, भण्डारण प्रभारों, खुदरा व्यापारियों के लाभ और अन्य इसी प्रकार के वितरण संबंधी प्रभारों को जोड़ कर निर्धारित किए जाते हैं । खाद्य विभाग के पास उपलब्ध सूचनानुसार, उपभोक्ता से लिया जाने वाला, मूल्य प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होता है और वह दिल्ली के 129 रुपये प्रति क्विंटल से हिमाचल प्रदेश में 155 रुपये प्रति क्विंटल तक भिन्न भिन्न होता है । भारतीय खाद्य निगम 125 रुपये प्रति क्विंटल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर गेहूं जारी करते समय कोई लाभ नहीं कमाता है क्योंकि उनकी इकनामिक लागत बहुत अधिक है ।

## चीनी के कोटे में वृद्धि करने के लिए राजस्थान द्वारा मांग

4413. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य ने केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें सप्लाई किये जाने वाले चीनी के कोटे में वृद्धि करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो चीनी का वर्तमान कोटा कितना है और कितने कोटे की मांग की गई है ; और

(ग) राज्य को इस समय सप्लाई किया जा रहा कोटा कब निर्धारित किया गया था ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). राजस्थान सरकार को जनवरी, 1976 से नवम्बर, 1977 तक 8520 मी० टन लेवी चीनी का मासिक कोटा मिल रहा था और उस कोटे में 4,000 मी० टन की वृद्धि करने की मांग की गई थी । 27 अक्तूबर, 1977 को लिए गए निर्णय के अनुसार प्रति व्यक्ति 425 ग्राम प्रति माह के आधार पर दिसम्बर, 1977 से राज्यवार लेवी चीनी का कोटा फिर से निर्धारित किया गया है और तदनुसार राजस्थान सरकार का मासिक कोटा बढ़ाकर 12.757 मी0टन कर दिया गया है ।

## Expenditure for imparting Training to Blind, Dumb and Physically Handicapped Persons

4414. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) the amount of expenditure incurred by Government for imparting training to the blind, dumb and physically handicapped people during the last three years, alongwith the number of persons who were imparted training in the same period; and

(b) the number of such trained persons who have so far been provided with employment?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) and (b). In so far as the schemes run by the Department of Social Welfare are concerned, during the last 3 years an expenditure of (approximately) Rs. 42.1 lakhs has been incurred on such training and the number of persons trained is 822. Information regarding the number of